



कायलिय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पुछ ताछ करने पर उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस नाम का कोई ब्यक्ति इस गांव में निवास नहीं करता है।

राजस्व उपनिरीखक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा डाली, थाना नं० 274, खाता सं० 80, खेसरा सं० 1405/9, रकबा 1:30 से संबंधित जमाबंदी रैयत विरुन सिंह पिता रामदेव सिंह के नाम से ग्राम डाली में ना तो ऑफलाईन और ना ही ऑनलाईन पंजी-2 में कोई जमाबंदी संधारित है। अतः उक्त वाद बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत चलने योग्य नहीं है। अतः इसे समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल पदाधिकारी
छत्तरपुर

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - जमानूर जिल्ला

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
किशुन सिंह	डाली	274	80	1405/9	1.30 फु०	खेसरा	—
फिरा रामलाल सिंह						मालिक	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पट्टी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- मंजूर पंजी-III जमीनी अधिकारों में से करण हटाकर विकल्प पता नहीं - पत्त पाला है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- N/A

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबन्धित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अंचल पदाधिकारी
उत्तरपुर

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वांछित रिटर्न से

N.A

(ग) बाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामांतरण पंजी से :-

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार, द्वारा निर्गत जमीनवारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- N.A

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद : N.A
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- N.A

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

[illegible]

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्थान उपरिक्षक द्वारा प्रतिलिखित जॉय प्रतिलिखित
का जॉय किया, कहीं पाया। अतः उपरोक्त जमानों की रद्द
करी की अनुमति दिया जा सकता है।

अंचल, अधिकारी,
छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर ।

अनुमण्डल पदा.,
छत्तरपुर ।

अपर समाहर्ता,
पलामू ।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- विष्णु सिंह, फि। २ फतेह सिंह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं: पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
डा.मी	274	80	1405/09	1.30 रु.

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- मी.पंजी-17 जी.पंजी 2108 अस्था में है.
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्री.मज.मा.मलिक
5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :-
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- N.A

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदाबस्ती) :-

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

N.A

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

181

1/4

बंदोबस्ती कार्यालय
उत्तरपुर

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 35 / 20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम विष्णु सिंह

पिता - रामदेव सिंह

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा डाबरी थाना नं०.....
खाता सं० 86 खेसरा नं० 1405/9 रकबा 130 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 15 के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त तारिख जमाने पदाधिकारी



08/12/22

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।